



प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०
3. कृषि निदेशक, उ०प्र०

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक:

10 मार्च, 2026

विषय:- दिनांक 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी, असम में आयोजित होने वाले "पीएम किसान उत्सव दिवस" में मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा पी०एम० किसान की 22वीं किश्त जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० DO. No.9-8/2026-FWS-Part(1), दिनांक 07 मार्च, 2026(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 22वीं किश्त का वितरण दिनांक 13 मार्च, 2026 को गुवाहाटी, असम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। उक्त दिवस को "पीएम किसान उत्सव दिवस" के रूप में मनाया जाएगा। अतः उक्त कार्यक्रम में किसानों को प्रदेश, जनपद, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर वर्चुअल रूप से शामिल कराने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के साथ ही निम्नवत कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. वर्चुअल रूप से <https://pmindiawebcast.nic.in> लिंक पर "पीएम किसान उत्सव दिवस" का प्रसारण होगा। जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम को प्रभावी बनाये जाने हेतु कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से आयोजित होगा, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा- मा० केन्द्रीय मंत्री/ केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं राज्य स्तर के मन्त्रीगण, मा० संसद/विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, ग्राम प्रधान, प्रगतिशील कृषक तथा सम्मानित कृषकगण इत्यादि की भी कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किया जाय।
2. VNO/ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों द्वारा समस्त सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये यह अवगत कराया जाय कि उन्हें शासकीय सुविधाओं में देय धनराशि DBT के माध्यम से सीधे आधार सीडेड खाते में हस्तांतरित की जा रही है।
3. प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारिता, मंडियाँ समिति, प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र (PMKSKs) तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) को भी जिला प्रशासन के सहयोग से अधिकाधिक संख्या में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराया जाय तथा उपस्थित लाभार्थियों का वीडियो बाइट्स कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय।
5. प्रत्येक स्तर पर प्रतिभागियों के बैठने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
6. कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया संसाधनों/प्रचार माध्यमों/प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।
7. दिनांक 13 मार्च, 2026 को प्रदेश के समस्त कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी सोशल मीडिया एवं प्रदेश स्तर पर (कृषि निदेशालय, उ०प्र०) ई-मेल आई०डी०- pmkisanup@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, कार्यक्रमों में उपस्थिति का प्रतिवेदन भी दिवस समाप्ति तक **उक्त ई-मेल आई०डी०** पर प्रेषित किया जाए।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/भा0स0-25(1)/2026/12-5-2026/2029747, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार को पत्र सं० - DO. No.9-8/2026-FWS-Part(1), दिनांक 07 मार्च, 2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ.प्र.
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर कृषि निदेशक, भू०सं०/ योजनाधिकारी, पी०एम० किसान योजना, उ०प्र० कृषि भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र (के०वी०के०)/खण्ड विकास अधिकारी, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अतीश चन्द्रा
सचिव
Atish Chandra
Secretary



भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare

D.O. No. 9-8/2026-FWS-Part(1)

Dated the 7th March, 2026

Dear Madam/Sir,

As you know, **PM-KISAN**, a flagship scheme of the Government of India, was launched in February 2019 by the Hon'ble Prime Minister to provide financial assistance of ₹6,000 per year to eligible cultivable land-holding farmers through Direct Benefit Transfer (DBT) into their Aadhaar-seeded and active bank accounts. Since its inception, more than ₹4.09 lakh crore has been transferred to farmers through 21 instalments.

The Hon'ble Prime Minister has graciously consented to release the 22nd instalment of PM-KISAN, for the period December 2025 to March 2026, on **13th March 2026** from **Guwahati, Assam**. On this occasion, an amount exceeding **₹18,650 crore** will be transferred directly into the bank accounts of over **9.32 crore** eligible farmers through DBT.

Dignitaries from the Government of India will grace the occasion. In this context, it has been decided to observe 13th March 2026 as "**PM KISAN Utsav Diwas**".

In view of the above, you are requested to kindly direct officers of the concerned departments to organise PM-KISAN instalment release events at the State and District levels. Further, all **Krishi Vigyan Kendras (KVKs)**, **Farmer Producer Organizations (FPOs)**, **Agriculture Mandis**, **Pradhan Mantri Krishi Samridhhi Kendras (PMKSKs)**, and **Primary Agricultural Credit Societies (PACS)** may be instructed to hold events in collaboration with the District Administration on **13th March 2026** from **05:00 PM**, with participation of farmers. The events may be attended virtually through the live webcast link: <https://pmindiawebcast.nic.in/>.

It may please be ensured that local representatives, including Hon'ble State Ministers, Members of Parliament, and Members of the Legislative Assembly, are invited to participate in the programme. Confirmation of the events, in the form of a photograph of the dais and a group photograph with participating farmers, may be shared with the Ministry. A consolidated report on attendance at the events may also be furnished to the Ministry by the end of the day.

with regards,

Yours sincerely,

Atish Chandra
(Atish Chandra)

The Chief Secretary
All States/ UTs

Office : Krishi Bhawan, New Delhi-110001, दूरभाष / Phone : 23382651, 23388444, E-mail : secy-agri@gov.in

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।